

**कार्यालय,**

**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राविप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3637

लखनऊ दिनांक 09/08/2021

**-कार्यालय ज्ञाप-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/जामेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मौखिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किया जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ में सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/प्रावधान्य प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रावधान्य एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

संस्था का कोड एवं नाम : 2040-CHAUDHARY INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE,VILL & POST-SHERPUR,LAKHIMPUR KHERI-262722		
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	30 30

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सीमेन्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं अटेंशनों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इकोनॉमिक्स हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय जामेसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय जामेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रायोजक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के संकलन में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनदेशों प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यकारी किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा पडि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उ०प्र० समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संपुर्ण प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों की ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनदेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिनियमों/अधिनियमों/शासनदेशों/निर्देशों एवं निदेशक प्राविधिक शिक्षा उ०प्र०, संपुर्ण प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, अटेंशनों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन जामेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं पडि ऑ सी आई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में संसद उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यकारी के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा

परिषद, समूक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बात दुपार किया जाता है तथा वापस वाट के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को समूक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जामेकर वर्क के लिए आयोजित प्रदेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीपीसीआईओ से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, सज-सजा उपकरण प्राप्त किया जाने वाला सूक्त, छात्रवास सूक्त आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रोगी रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काश संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशासा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थायी निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सज-सजा एचआईवीसीपीआईओ/पीपीसीआईओ/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पु0सं0- प्राशिम/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 06/08/2021

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्य/निदेशक CHAUDHARY INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE, VILL & POST-SHERPUR, LAKHIMPUR KHERI-262722



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

## कार्यालय,

## सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

## उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/9678

संलग्नक दिनांक: 03/10/2022

## -कार्यालय नमः-

उत्तम भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्मेली कॉन्वेंशंस और इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक वर्ष 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3000 लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 03/10/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं की सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश समता वृद्धि सहित अन्य सूची पर विचार करते हुए वर्ष 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3000 लखनऊ द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश समता हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2040-CHAUDHARY INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE			
सीसीओ	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश समता:	परिषद द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश समता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

## सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनवली 1992 विनियमनवली-2000, सैमिस्टर विनियमनवली-2016 तथा समय-समय पर निर्गम शासनोदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनी पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30152.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्मेली पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 46000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्मेली पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही पर्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनोदेश पंजीवी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जात आवश्यक होगा। शैक्षिक निर्धारण समिति द्वारा यदि वर्ष 2022-23 हेतु शैक्षिक का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो शैक्षिक की तत्कालीन दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गम शासनोदेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिनियमों/अधिनियमों/शासनोदेशों/निर्देशों एवं निदेशक प्राविधिक शिक्षा, 3000, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 3000 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3000 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग कार्यक्रम होने के पूर्व ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय की उपस्थिति में प्रवेश करने वाली संस्था को (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश कराने के आधार पर सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत सर्वोच्चतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टार, साइ-सज्जा, उपकरण, पान्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को विद्यार्थी-परिचितता हेतु उपयुक्त बालारण उपलब्ध कराने के साथ रीजिग हाफने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में पंजीकृत संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु विधिबद्ध प्रक्रिया के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो सम्बन्धित संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के जीवन स्थलीय विद्यार्थियों के टीकात यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साइ-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 परिषद के मातृकाद्वारा उपलब्ध नहीं प्राप्त जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धत शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनानुसार कार्यवाही की जायेगी।



(एफ0आर0 सान)

सचिव

पु0सं0- प्राविषा/परिषद सम्बद्धता/2022/9679-9717

दिनांक: 03/10/2022

प्रतिरिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक CHAUDHARY INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE



(एफ0आर0 सान)

सचिव

**कावांसय****सविद्यः प्राविधिक शिक्षा परिषदः****उत्तर प्रदेश अधिनयः**

संख्या:- प्राविषा/परिषद सन्बद्धता/2023/12090001

असनता दिनांक: 12-09-2023

**कावांसय नाम:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदित विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० अधिनय से सन्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में समझा दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-09-2023 को परिषद कार्यालय में सन्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदित विस्तार एवं सन्बद्धता समिति द्वारा दिए गए निर्णय के अनुकूल में संस्थाओं को सन्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में दिये गये निर्णय के अनुकूल में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० अधिनय द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अभिन्न प्रवेश प्रदान हेतु सन्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

संस्था का कोड एवं नाम : 2040-CHAUDHARY INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र परिषद द्वारा सत्र 2023-24 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	80	80

**सन्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुमान-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/16-3099/9/2022/टी०सी०-1 दिनांक 18 अग्रे 2023 द्वारा पूर्व से संचालित समस्त संस्थाओं की सूची के विरुद्ध राजस्व न्यायालय में दायित्व विट. वाचिका संख्या 8827/2023 में भारतीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन सन्बद्धता निर्णय की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के आदेश के अनुकूल संस्थान में समस्त संसाधन (भूमि, मकान, सैन उपकरण) आदि उपलब्ध हैं।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1992 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनाली 1992, विनियमनाली-2000, मैनेस्टर विनियमनाली-2016 तथा समय-समय पर विगत आसतादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक आसतादेश में जमा किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त आसतादेशों से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर आदेश द्वारा निर्णय किये जाते वाले आसतादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाता जासकत होगा। शैक्षिक निर्धारण समिति द्वारा पठि सत्र 2023-24 हेतु जीक का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो जीक की सर्वोत्तम ही रूप होगी।
- ✓ संस्था में समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित करने को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर विगत आसतादेश के अनुसार निर्णय एवं सन्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

